न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 267 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/286)

पंजीयन दिनांक– 29.09.2021

निर्णय दिनांक– 26.10.2021

1. श्री जगदीश पिता स्व. नंदा धाकड़, निवासी सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती राधा बाई पत्नि स्व. नंदा धाकड़, निवासी सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। **(फौत होने के कारण दिनांक 22.07.2021 को कार्यवाही ड्रोप की गई)**

–अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
2. आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री प्रमोद दाणी – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण

संख्या 989 / 1968 निर्णय दिनांक 16.09.1976

निर्णय

दिनांक 26.10.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अपर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 989 / 1968 निर्णय दिनांक 16.09.1976 के विरूद्ध दिनांक

15.10.2018 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 12.06.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 29.09.2021 को दर्ज की गई।

अपीलांट संख्या 2 के फौत होने व वारिस पूर्व से रेकार्ड पर अपीलांट संख्या 1 के रूप में होने से पेशशुदा आवेदन स्वीकार कर दिनांक 22.07.2021 को अपीलांट संख्या 2 का नाम हटाया गया।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/प्रार्थी की ओर से अपीलांट के पिता व पति नंदा पिता धुला धाकड को किये गये आवंटन को निरस्त करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपने प्रकरण संख्या 989/1968 निर्णय दिनांक 16.09.1976 से अपीलांट के पिता व पति नंदा को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया, परंतु अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख जिला कार्यालय के निर्णित पत्रावलियों की जमा रजिस्टर (पंजिका) में क्रम संख्या 174 पर दर्ज होकर दिनांक 13.08.1996 को जाया (नष्ट) होने से उपलब्ध नही होने के कारण मूल अपील पर बहस सुनी गई। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा

उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीध पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद दाणी उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 20.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी में बताया कि आवंटनशुदा कृषि आराजी नम्बर 272/2 रकबा 10 बिस्वा के चारो तरफ कच्ची पत्थरों की बाउण्ड्रीवाल बना मवेशी बांधने व चारा आदि रखने के लिये छाया ढालिये नुमा बना रखा है। भू–प्रबंध के बाद आराजीयात के नवीन नम्बर 435 रकबा 0.13 हैक्टेयर कायम किये जाकर किस्म आबादी दर्ज हो वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज है, जिस पर अपीलांट का अपने पिता के जीवनकाल से ही निरंतर एवं शांति पूर्वक कब्जा व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। अपीलांट के पिता व पति को खातेदारी अधिकार संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी में प्राप्त हो चुके थे, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आवंटन निरस्त किया गया है। विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है कि आवंटन के पश्चात आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद खातेदारी अधिकारों को धारा 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही से निरस्त नहीं किया जा सकात है। आवंटित आराजीयात की किस्म वक्त आवंटन नहरी होकर आवंटन योग्य थी, जिसके आधार पर अपीलांट के पिता व पति को आवंटित आराजीयात के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये उसके पश्चात रेस्पोडेंट द्वारा बिना युक्तियुक्त व वैध आधार के आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये जो निर्णय पारित किया गया है वो निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 16.09.1976 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 989/1968 दिनांक 16.09.1976 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 989/1968 निर्णय दिनांक 16.09.1976 के विरूद्ध दिनांक 15.10.2018 को पेश की है। अतः यह अपील करीब 41–42 वर्षों के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। उक्त विलम्ब के लिए अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन देते हुए यह वर्णित किया है कि उसे विवादित आदेश की कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी क्योंकि अपीलाण्ट के पिता नन्दाजी आवंटित आराजीयात पर काबिज हो उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे थे तथा उसके पश्चात् अपीलाण्ट निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज होकर भूमि का उपयोग, उपभोग कर रहे थे। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.09.2018 को रेस्पोंडेण्ट के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा आराजीयात बिलानाम आबादी हो रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से अतिक्रमण की कार्यवाही करने व कब्जा हटाने पर धमकी देने पर हुई, जिस पर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण में उपलब्ध रेकर्ड से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा नकल चाही जाने पर जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 13.08.1996 को उक्त पत्रावलियां जाया कर देना वर्णित किया है। अपीलाण्ट स्वयं के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 29.09.1976 को तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त भूमि के आवंटन निरस्तीकरण हो जाने के कारण नन्दा पिता धूला से तहसील सरकार लिये जाने का आदेश गिरदावर को दिया है। आवंटन निरस्तीकरण के आदेश की पालना भी वर्ष 1976 में ही हो जाना व नामान्तकरण संख्या 683 प्रकट आता है। अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नं0 272/2 के नये नम्बर 435 बनने तथा वह भूमि वर्तमान में नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज होना प्रकट है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण वर्ष

1968 में दर्ज हुआ है तथा उसका निर्णय 8 वर्षों के उपरान्त वर्ष 1976 में हुआ है तो 8 वर्षों के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के पूर्वज आवंटी नन्दा को उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं हो, यह विश्वसनीय नहीं है तथा यदि कोई आराजी आवंटन के बाद बिलानाम दर्ज हो चुकी हो एवं उसके 41–42 वर्षों बाद आवंटी के वारिस जबकि वह भूमि आबादी में दर्ज होकर नगरपालिका को दी जा चुकी हो, ऐसी परिस्थिति में अपीलाण्ट द्वारा दिये गये दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर 41–42 वर्षों की मयाद को कण्डोन किये जाने के कोई तथ्यपरक आधार उपलब्ध नहीं है तथा न ही ऐसी कोई पत्रावली या साक्ष्य उपलब्ध है जिससे उक्त अति दीर्घ अवधि के विलम्ब को क्षमन किये जाने के लिए औचित्य का निर्धारण किया जा सकें।

उपरोक्त सम्रग स्थितियों के दृष्टिगत हम अपील अपीलाण्ट बैरून मियाद मानते हैं एवं इस आधार पर अपील अपीलाण्ट बैरून मियाद होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर